

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, विलासपुर, (छ0ग0)
आदेश

क्रमांक / रीडर—जि०दण्डा / १६४५ / २०२०

विलासपुर, दिनांक— २८ अप्रैल, २०२०

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / रीडर—जि०दण्डा / १६५६ विलासपुर दिनांक—
२२ अप्रैल, २०२० के द्वारा, कोरोना वायरस के संकरण और इसकी संभावनाओं को दृष्टिगत रखते
हुए सम्पूर्ण विलासपुर जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में, मिल्क पार्लर, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प,
राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, टेक अवे / होम डिलीवरी रेस्टोरेंट को छोड़कर प्रत्येक रविवार
एवं बुधवार को सम्पूर्ण बाजार / दुकानें बंद रखे जाने का आदेश प्रसारित किया गया है। उक्त
आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त बाजार / दुकानें अब सप्ताह में एक दिन प्रत्येक
रविवार को बंद रखी जायेंगी।

(डॉ. ~~मनजय अलंग~~)

कलेक्टर ~~जिला एवं दास्तावचीकरण दण्डाधिकारी,~~
~~विलासपुर (छत्तीसगढ़)~~

पृ० क्रमांक / रीडर—जि०दण्डा / १६४५ / २०२०

विलासपुर, दिनांक— २८ अप्रैल, २०२०

प्रतिलिपि—

- १— अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
 - २— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
 - ३— सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
 - ४— आयुक्त, विलासपुर संभाग, विलासपुर को सादर सूचनार्थ।
 - ५— पुलिस महानिरीक्षक, विलासपुर रेंज, विलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - ६— पुलिस अधीक्षक, विलासपुर,
 - ७— आयुक्त, नगर पालिका निगम, विलासपुर,
 - ८— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विलासपुर,
 - १०— अनुविभागीय दण्डाधिकारी, विलासपुर / कोटा / मरसुरी एवं बिल्हा,
 - ११— सर्व तहसीलदार समस्त.....जिला— विलासपुर
 - १२— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी.....जिला— विलासपुर
 - १३— उप संचालक, जनसंपर्क, विलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
- जिला— विलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कलेक्टर एवं ~~जिला दण्डाधिकारी,~~
~~जिला दण्डाधिकारी,~~
विलासपुर (छत्तीसगढ़)
विलासपुर (छत्तीसगढ़)